संख्या– / /XVIII(II)/2022–01(04)/2020

प्रेषक,

डा0 आनन्द श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गढ़वाल।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनाकः 07 जनवरी, 2022

विषय–पैरामेडिकल टैक्नोलॉजी सोसायटी ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली को ग्राम बिलखेत में डी0पी0एम0आई0 विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि क्रय की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–R–450/8–एल0ए0सी0 (2020–21), दिनांक 20 नवम्बर, 2020 तथा पत्र संख्या–149/8–एल0ए0सी0 (2020–21), दिनांक 16 अप्रैल, 2021 कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ग्राम बिलखेत, पट्टी परिश्चमी मनियारस्यूं, तहसील पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल के खसरा नं0–261 रकबा 0.841 है0 मध्ये 0.736 है0 भूमि पैरामेडिकल टैक्नोलॉजी सोसायटी ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली को डी0पी0एम0आई0 की स्थापना हेतु क्रय की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है।

2– उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर लिए गये निर्णय के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम बिलखेत, पट्टी परिश्चमी मनियारस्यूं, तहसील पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल के खसरा नं0–261 रकबा 0.841 है0 मध्ये 0.736 है0 भूमि पैरामेडिकल टैक्नोलॉजी सोसायटी ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली को डी0पी0एम0आई0 विश्वाविद्यालय की स्थापना हेतु क्रय की अनुमति उच्च शिक्षा विभाग की संस्तुति के क्रम में उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा–154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता द्वारा क्रय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (डी0पी0एम0आई0 विश्वाविद्यालय की स्थापना) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजन के लिए क्रय किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगें।

....2

3– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है, उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

5– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

6– सोसाइटी द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग निर्धारित प्रयोजन (डी0पी0एम0आई0 विश्वाविद्यालय की स्थापना) के लिए ही किया जायेगा।

7– निजी विश्वविद्यालय का निर्माण किये जाने सम्बन्धी मानकों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8– सोसाइटी द्वारा स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालय में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

9– सोसाइटी को विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में तत्समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

10– जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाय।

11– सोसाइटी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

12– सोसाइटी को विनियमित क्षेत्र के विनियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

13– क्रय की जा रही भूमि के विक्रय–विलेखों पर उक्त अनुमति से इंगित किये गये प्रयोजन के अनुसार ही स्टाम्प शुल्क अदा किया जायेगा।

14– प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यो का दायित्व सम्बन्धित सोसाइटी का होगा।

15– सम्बन्धित सोसाइटी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सोलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट) के अन्तर्गत जैविक व अजैविक पदार्थो का प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

16– सम्बन्धित सोसाइटी द्वारा जलोत्सारण (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट) हेतु निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17– जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि के मध्य व किनारे चेक रोड़, नाला तथा राज्य सरकार की अवशेष भूमि आदि होने अथवा न होने की स्पष्ट सूचना/विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

18– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी, तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगें।

19– किसी भी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो, इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

20– भूमि का विक्रय उस उपयोग हेतु शासन की अनुमति से किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए शासन द्वारा क्रय की अनुमति प्रदान की गयी है।

...3

21– सोसाइटी द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सर्वोच्च नियामक संस्थाओं के मानकों एवम् अन्य प्रभावी नियमों/विनियमों के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की घोषणा पत्र दिया जायेगा।

22– सोसाइटी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्रस्तावित विश्वविद्यालय एवम् समस्त प्रस्तावित पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में स्वीकृति पत्र/संस्तुति पत्र प्राप्त किये जाने होगें।

23– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

3– कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तो के अनुपालन स्थिति से भी ससमय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

संख्या–60 (1)/XVIII(II)/2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
5– निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
6– सचिव, पैरामेडिकल टैक्नोलॉजी सोसाइटी ऑफ इण्डिया, बी0–20 न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली।
7– निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8– प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गीता शरद)
अनु सचिव।